राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा(ग्रुप–5)विभाग

क्रमांकःप12(6)शिक्षा–5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट जयपुर, दिनांकः 22.02.2018

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत् गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–18 में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक–बालिकाओं के भौतिक सत्यापन हेतु तिथि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
संदर्भः– क्रमांक प.12 (6)शिक्षा–5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा **12(1)(ग) के तहत् शैक्षिक सत्र 2017–18 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर** नवप्रवेशित व पूर्व सत्रों के क्रमोन्नत बालक–बालिकाओं के भौतिक सत्यापन हेतु संदर्भित पत्र द्वारा टाइमफ्रेम जारी किया गया था। इस टाइमफ्रेम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

क्र.सं.	गतिविधि/कार्यक्रम	निर्धारित तिथियॉ
1	विद्यालयों द्वारा रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	07.03.2018 तक
2	सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना	12.03.2018 तक

उपरोक्त नवीन निर्धारित तिथियों तक भी जो विद्यालय अपनी सत्यापन रिपोर्ट की ऑनलाइन प्रविष्टि नहीं करते है उनके लिए सम्बन्धित निदेशालय से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक होगा। इसके लिए विद्यालय अपनी परिवेदना सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को देगा तथा जिला शिक्षा अधिकारी प्रकरण को स्वीकृति हेतु निदेशालय को प्रेषित करेंगे। निदेशालय द्वारा इसकी ऑनलाइन स्वीकृति दी जायेगी। निदेशालय द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति के बाद विद्यालय अपने लॉगिन से सत्यापन रिपोर्ट प्रविष्टि कर लॉक कर सकेगा तथा सम्बन्धित कार्यालय उसका मिलान कर सकेगा। सत्यापन रिपोर्ट प्रविष्टि,कार्यालय द्वारा मिलान एवं फीस का पुनर्भरण कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

इस सम्बन्ध में निम्नांकित कार्यवाही की जानी हैः–

1. संशोधित टाइमफ्रेम को प्राइवेट स्कूल वेब–पोर्टल पर एनआईसी के माध्यम से अपलोड करावें।
2. एनआईसी के माध्यम से प्राइवेट स्कूल वेब–पोर्टल पर उक्त टाइमफ्रेम एवं निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करावें।

www.rajteachers.com

भवदीय
(उमा शंकर त्रिपाठी)
वरिष्ट शासन उप–सचिव
शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त राप्राशिप, जयपुर।
4. श्री विनोद जैन, तकनिकी निदेशक एवं प्राइवेट स्कूल पोर्टल प्रभारी, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. राज्य समन्वयक, पीएसपी–सीसी, शिक्षा संकुल जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ट शासन उप–सचिव